भारतीय राजव्यवस्था

POLITY BY ROHIT YADAV SIR

संविधान का निर्माण

कैबिनेट मिशन योजना (1946)

- कैबिनेट मिशन के सदस्य थे:

  (क) लॉर्ड पेथिक लॉरेंस (भारत सचिव)

  (ख) सर स्टैफर्ड क्रिप्स (बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष)

  (ग) ए.वी. अलेक्जेंडर (नौसेना मंत्री या एडमिरैलिटी के प्रथम लॉर्ड)
- 24 मार्च, 1946 को भारत (नई दिल्ली) पहुँचा कैबिनेट मिशन।
- इसने अपनी योजना को 16 मई, 1946 को प्रकशित किया।
- कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत संविधान सभा का गठन हुआ।
- योजना की विशेषताएं थी:
- संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या- 389

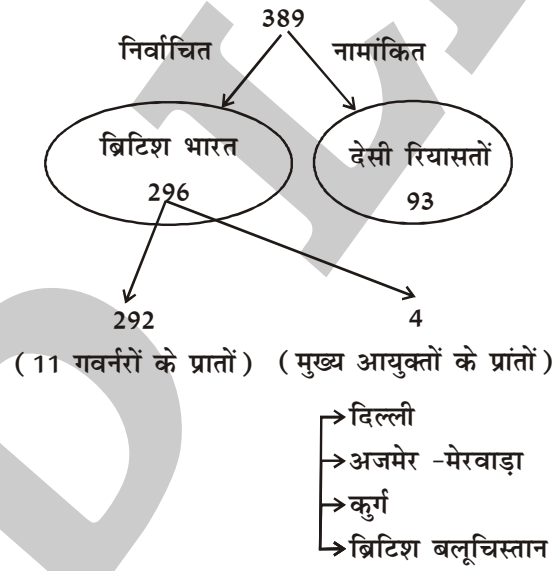

नोट:

- प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा 292 सदस्य चुने गए।
- 93 सदस्यों ने भारतीय देसी रियासतों का प्रतिनितधत्व किया।
- 4 सदस्यों ने मुख्य आयुक्तों प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया।

- हर प्रांत व देसी रिसायतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की थी। प्रत्येक दस लाख लोगों पर एक सीट आंवटित की जानी थी।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था-

  (क) मुस्लिम

  (ख) सिख

  (ग) सामान्य (मुस्लिम और सिख को छोड़कर)

KD Live

नोट: संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई ओर आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी।

- संविधान सभा के लिए चुनाव (296 सीटों हेतु) जुलाई - अगस्त 1946 में हुआ-

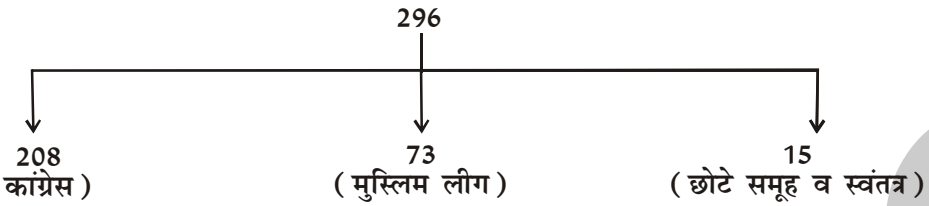

- कांग्रेस को 208 सीटें मिलीं।
- मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलीं।
- छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिलीं।

नोट: संविधान सभा में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व (1946)

हिंदू - 163	मुस्लिम - 80
अनुसूचित जाती - 31	भारतीय ईसाई - 6
पिछड़ी जनजातियाँ - 6	सिख - 4
एंग्लों इंडियन -3	पारसी - 3

घटनाक्रम:

9 दिसंबर 1946

- संविधान सभा की प्रथम बैठक
- 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया
- संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति जे.बी. कृपलानी थे।
- डॉक्टर सच्चिदानंद सिंहा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।

11 दिसंबर 1946

- डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद (संविधान सभा के अध्यक्ष)
- एच.सी. मुखर्जी (संविधान सभा के उपाध्यक्ष)
- बी. एन. राऊ (संविधानिक सलाहकार)

13 दिसंबर 1946

- पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

22 जनवरी 1947

- इस प्रस्ताव को सर्व सम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

22 जुलाई 1947

- संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
- इसकी रचना पिंगली वेंकय्या ने की थी।

15 अगस्त 1947

- भारत ने स्वतंत्रता हासिल की।

नोट: 3 जून, 1947 के मांउटबेटन प्लान के तहत विभजन के परिणास्वरूप, पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतो के प्रतिनिधियों की सभा से सदस्यता समाप्त हो गई। परिणामस्वरूप, सभा की सदस्यता कम होकर 299 हो गई।

KD Live

29 अगस्त 1947

- प्रारूप समिति का गठन हुआ।
- डॉक्टर बी. आर. अबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
- प्रारूप समिति में सात सदस्य थे:
  (i) डॉक्टर बी. आर. अंबेडकर (अध्यक्ष)
  (ii) एन. गोपालास्वामी आयंगार
  (iii) अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
  (iv) डॉक्टर के. एम. मुंशी
  (v) सैय्यद मोहम्मद सादुल्ला
  (vi) एन. माधव राव
  (vii) टी.टी. कृष्णामाचारी

16 जुलाई 1948

- वी.टी. कृष्णामाचारी संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए।

26 नंवबर 1949

- भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया।
- इस दिन अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी।
- इस दिन संविधान के कुछ प्रावधान लागू हुए। वे नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों और संक्षिप्त नाम से संबंधित है। इन प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित है:
  अनुच्छेद:- 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394

नोट: अनुच्छेद 394- प्रारंभ
यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 तुरंत प्रवृत्त होंगे और इस संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी, 1950 को प्रवृत्त होंगे जो दिन इस संविधान में इस संविधान के प्रारंभ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

24 जनवरी 1950

- राष्ट्रीय गान को अपनाया।
- राष्ट्रीय गीत को अपनाया।
- डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना।
- संविधान सभा की अंतिम बैठक।

26 जनवरी 1950

- भारत का संविधान लागू हुआ।
- 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था।

बड़ी समितियाँ

1. संघ शक्ति समिति- जवाहरलाल नेहरू
2. संघीय संविधान समिति- जवाहरलाल नेहरू
3. प्रांतीय संविधान समिति- सरदार पटेल
4. प्रारूप समिति- डॉ. बी.आर. अंबेडकर
5. मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति (परामर्शदाता समित)- सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित पांच उप-समितियाँ थीं:
   (क) मौलिक अधिकार उप-समिति -जे.बी. कृपलानी
   (ख) अल्पसंख्यक उप-समिति - एच. सी. मुखर्जी

KD Live

(ग) उत्तर-पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप-समिति- गोपीनाथ बरदोई।

(घ) छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों (असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा) के लिए उप-समिति- ए.वी. ठक्कर।

6. प्रक्रिया नियम समिति -डॉ. राजेंद्र प्रसाद
7. राज्यों के लिए समिति (राज्यों ने समझौता करने वाली)- जवाहरलाल नेहरू
8. संचालन समिति-डॉ. राजेंद्र प्रसाद

छोटी समितियाँ

1. वित्त एवं कर्मचारी (स्टाफ) समिति- डॉ. राजेंद्र प्रसाद
2. प्रत्यायक (क्रेडेन्सियल) समिति-अलदि कृष्णास्वामी अय्यर
3. सदन समिति-बी. पट्टाभिसीतारमैय्या
4. कार्य संचालन समिति-डॉ. के.एम. मुंशी
5. राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति-डॉ. राजेंद्र प्रसाद
6. संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति -जी.वी. मावलंकर
7. सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति-एस. वरदाचारी (जो कि सभा के सदस्य नहीं थे)
8. मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति बी. पट्टाभिसीतारमैय्या
9. संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति-नलिनी रंजन सरकार (जो कि सभा के सदस्य नहीं थे)
10. भाषाई प्रांत आयोग-एस. के डार. (जो कि सभा के सदस्य नहीं थे।)
11. प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति-जवाहरलाल नेहरू
12. प्रेस दीर्घा समिति -उषा नाथ सेन
13. नागरिकता पर तदर्थ समिति - एस. वरदाचारी

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नायाराण रायज़ादा ने लिखा था।
- मूल संविधान हस्तलिखित है, जिसके प्रत्येक पृष्ठ को शांतिनिकेतन के कलाकारों द्वारा, त्यौहार राममनोहर सिंहा और नंदलाल बोस सहित, विशिष्ट रूप से सजाया गया है।
- मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैध द्वारा किया गया था।
- संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा 24 जनवरी, 1950 को हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- कुल समय-2 वर्ष, 11 महीने 18 दिन
- कुल खर्च - लगभग 64 लाख रुपए
- कुल सत्र - 11 सत्र (165 दिन)

KD Live